संख्या- 166 /2019 / 2523 /चार-2019-8 (बजट)/ 2017

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 संगीत नाटकअकादमी भवन की मरम्मत/जीर्णोद्धार की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1604/सं0नि0-6(118)/2016-17 दिनांक 05 सितम्बर, 2019 तथा सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी लखनऊ का पत्र संख्या-359/2019-20 दिनांक 11 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में अवगत कराना है कि उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी भवन के रेनोवेशन वर्क, आंतरिक प्लम्बरिंग के वर्क, बाउण्ड्रीवाल के कार्य प्रेक्षागृहों में लाइट एवं साउण्ड सिस्टम के सुदृढीकरण के कार्यो हेतु मूल्यांकित लागत रू0 190.49 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 190.49 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी भवन की मरम्मत , अनुरक्षण तथा दोनों प्रेक्षागृहों के अनुरक्षण, गेस्ट हाउस, प्रेक्षागृह के कार्यो एवं कुछ नये कार्यो को सम्मिलित करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रू0 495.29 लाख के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर,2015 के निर्देशानुसार प्रायोजनाओं के मूल्यांकन एवं औचित्य के परीक्षण हेतु गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए प्रस्तावित कार्य कराये जाने हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 495.29 लाख की धनराशि मूल्यांकित की गयी है। पुनरीक्षित आगणन रू0 495.29 लाख में से रू0 190.40 लाख को घटाते हुए रू0 304.80 लाख की धनराशि के सापेक्ष मूल्यांकित कार्य कराया जाना है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी भवन की मरम्मत , अनुरक्षण तथा दोनों प्रेक्षागृहों के अनुरक्षण, गेस्ट हाउस, प्रेक्षागृह के कार्यो एवं कुछ नये कार्यो हेतु रू0 495.29 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- शासनादेश संख्या-119/2017/3266/चार-2017-8(बजट)/2017 दिनांक 24 नवम्बर, 2017 तथा शासनादेश संख्या-62/2019/3690/चार-2018-8(बजट)/2017 दिनांक 10 मार्च, 2019 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 , दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

3 - उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक - 4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -37-उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन का सुदृढीकरण - 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 , दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-166 /2019/ 2523 /चार-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
3- सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in